HRA Fin USIUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3---उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1335] No. 1335] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

का.आ. 1602(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 की सा.आ.सं. 1171 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपितियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपतियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने आमले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा ।।ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

योजना जोन -डी में मिन्टो रोड तथा डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली के जंक्शन पर पाकेट-4 में आने वाले

निम्नलिखित 8093.50 वर्गमीटर(2 एकड़) क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन् किया जाता है :

अवस्थिति	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी-2021)	प्रेंसिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं	1
1	2	3	4	5	
योजना जोन -डी में मिन्टो रोड तथा डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली के जंक्शन पर पाकेट-4	,8093.50 धर्म औटर (2 एकड़)	'आवासीय '	'सार्वज्ञनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधाएं	उत्तर - दीन दाल उपाध्याय मार्ग दक्षिण - पुराना भवन पूर्व - पाकेट-4 ए पश्चिम - मिन्टो रोड	1

[फा. सं. के-13011/4/2009-डीडीआईबी] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

- S.O. 1602(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1171(E), dated 18th May, 2010 the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 8093.50 sqm. (2 acres), carved out of Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land Use (MPD- 2021)	Land use changed to	Boundaries
Pocket-4 at the junction of Minto Road and DDU Marg, New Delhi in Planning Zone-D	8093.50 sqm. (2 acres)	"Residential"	"Public and Semi Public Facilities"	North: Deen Dayal Upadhaya Marg South: Old Buildings East: Pocket 4A West: Minto Road

[F. No. K-13011/4/2009-DDIB] SUNIL KUMAR, Under Secy.